

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 390
08 जनवरी, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : पराली को जलाया जाना

*390. श्री सुनील कुमार जाखड़:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तरी राज्यों में पराली को जलाये जाने को रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा पराली को जलाये बगैर इसका प्रबन्धन करने हेतु अनुसंधान आरंभ करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का किसानों को पराली का प्रबन्धन करने हेतु बोनस देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)

(क)से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“पराली को जलाया जाना” संबंधी दिनांक 08 जनवरी, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 390 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पराली जलाए जाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता करने के वास्ते एक विशेष स्कीम शुरू करने के लिए बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसरण में फसल अपशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए अपेक्षित मशीनों की कीमतों में रियायत देने हेतु वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में फसल अपशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन हेतु कृषी यंत्रीकरण संवर्धन नामक एक नयी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 1151.80 करोड़ रु. (2018-19 में 591.65 करोड़ रु. और 2019-20 में 560.15 करोड़ रु.) की कुल केन्द्रीय निधियों के साथ शुरू की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजसहायता के जरिए किसानों को स्वस्थाने फसल अपशिष्ट प्रबंधन मशीनों को उपलब्ध कराने, स्वस्थाने फसल अपशिष्ट प्रबंधन मशीनों से संबंधित कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) को स्थापित करने और इस संबंध में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्रमशः 269.38 करोड़ रु., 137.84 करोड़ रु. और 148.60 करोड़ रु. दिए गए हैं।

(ख) : स्वस्थाने पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न फसलों के अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण/मशीनों का केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल तथा कृषि उपकरण एवं मशीनरी संबंधी अखिल भारतीय फसल अनुसंधान परियोजना केन्द्र, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने सुपर पराली प्रबंधन प्रणाली (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर-कम-स्प्रीडर, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लग, जीरो सीड ड्रिल आदि जैसे उपकरणों का विकास किया है और उनका प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ने भी फसलों के अपशिष्ट के लिए उचित अपशिष्ट डीकंपोजर का विकास किया है। यह कुछ लाभकारी सूक्ष्म जैविकों का एक ऐसा मिश्रण है जिसका उपयोग जैव-अपशिष्ट को 20 दिनों के भीतर जैविक खाद में बदलने के लिए किया जाता है।

(ग): जी, नहीं।
